operations carried out during 1963-64; and

(d) whether the motor vehicle placed at the disposal of the hospital authorities with the funds granted by the Central Social Welfare Board is being properly utilised in connection with the treatment of the eye diseases of the residents in the nearby villages?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The annual grants of Rs. 71,600 and Rs. 71,900 were sanctioned by the Ministry of Health during the financial years 1962-63 and 1963-64 respectively over and above the annual grant received by the institution from the State Government.

Besides the above grants from the Ministry of Health, the Gandhi Eye Hospital, Aligarh, have also received grants of Rs. 6,000 each in the years 1962-63 and 1963-64 from the Central Social Welfare Board.

(b) Yes.

(c) Eight doctors and one Radiologist are in the service of the Hospital. Besides, the following staff is also employed for the purposes of post-graduate teaching and research in the Hospital:—

(1) Anaesthetist.	1
(2) Ophthalmic Registrars	3
(3) Demonstrators.	3
(4) House Surgeons	3
(5) Orthoptist	1

(i) The number of operations performed at the Base Hospital, Aligarh, during 1963-64 was 4,396.

(ii) The number of operations performed in the rural areas in the zone of the Gandhi Eye Hospital under the Zonal Eye Relief Scheme through the media of Eye Relief Camp was 7,495.

(d) Yes.

बाढ़ संकट के लिये सेना यनिट

1855. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ संकट में सहायता करने के लिये एक सेना यूनिट बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने सैनिक होंगे ;

(ग) इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय कितना होगा; और

(घ) क्या यह खर्च राज्य उठायेंगे या केन्द्रीय सरकार ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) से (घ). 27 नवम्बर, 1964 को हुए अन्तर्राज्य बाढ़ नियंत्रण समन्वय सम्मेलन हुआ । इस में अन्य विषयों के साथ साथ बाढ़ से उत्पन्न किसी भी संकट में दरारों को बन्द करने और दूसरे बाढ़ सहायता कार्यों के लिये कुछ प्रबन्ध करने तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक विशेषतया प्रशिक्षित और सुसज्जित सैनिक टुकड़ी तैयार रखने के प्रश्न पर भी विचार किया गया । यह प्रस्ताव अभी आरंभिक अवस्था में है और रक्षा मंत्रालय से सलाह करके इस की जांच की जा रही है ।

Patients reported Missing from Irwin Hospitals

1856. **Shri Rameshwar Tantia:** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some patients are reported to be missing from the Irwin Hospital, New Delhi;

(b) whether any investigations have been ordered into the matter;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether the missing patients have been recovered?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (d). A patient aged 70, named Shri Kanshi Ram S/o Shri Bindraban, was admitted in the Emergency Ward of the Irwin Hospital on the 5th November, 1964, with a complaint of diarrahoea. His condition was not serious and he was moving about. On the evening of the 6th November when his relatives came to see him he was not in his bed. The matter was reported to the Police authorities concerned on the very day. The result of the Police investigation is awaited.

शराब के ठेकों की नीलामी

1857. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में देशी शराब के ठेके नीलाम किये जाते हैं जब कि विदेशी शराब के ठेके बिना नीलाम किये कुछ बड़ी फर्मों को ही मंजूर किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केवल देशी शराब के बारे में नीलामी की जाती है । विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाईसेन्स प्रमाणित प्रतिष्ठा वाली उन फर्मों को दिये जाते हैं जो इस व्यवसाय में पारम्परिक तौर पर रहती आयी हों । लाइसेन्सों का वार्षिक नवीकरण किया जाता है ।

(ख) यह क्रियाविधि बहुत लम्बे अर्से से प्रचलित है । देशी और विदेशी शराबों की फुटकर बिक्री के लिए पालन की गयी क्रियाविधियों में विभिन्नता के कई कारण हैं । पहले, दिल्ली प्रशासन फुटकर लाइसेन्सदारों को पूर्व नियत कोटा के हिसाब से नियत दर पर देशी शराब देने की और नियत दरों पर बेचे जाने की भी व्यवस्था करता है । इसके विपरीत, विदेशी शराब के मामले में ऐसी ही प्रणाली का अनुसरण करना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत अधिक किस्मों, छापनों और प्राबल्य (स्ट्रेंग्थ) में बेची जाती हैं । इसके अलावा, भारतीय निर्माता ही इसके संभरण (सप्लाई) के स्रोत नहीं हैं और कुछ मात्राओं को आयात भी करना पड़ता है । किसी भी नीलाम प्रणाली में यह आवश्यक होगा कि फुटकर लाइसेन्सदार कोई निश्चित धनराशि अदा करे जिसका उसकी वास्तविक अधिप्राप्तियों या विक्रयों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध न होगा । लेकिन ये व्यवहार में केवल सामान्य मांग के आधार पर ही नहीं बल्कि विदेशी शराब की उपलब्ध आंतरिक अथवा बाह्य किस्मों के आधार पर भी घट बढ़ सकती हैं । बाह्य अधिप्राप्ति आगे आयात लाइसेन्स देने सम्बन्धी प्रतिबंधों के अधीन है और उससे अनिश्चितता का अतिरिक्त तत्व भी आ जाता है । इन बातों को देखते हुए सरकार का मत है कि इन लाइसेन्सों के नीलाम करने के प्रयत्नों से अनाचारों का जोखिम बढ़ेगा । दूसरे, विदेशी शराबों की दुकानों के लिए समुचित स्थानों और मकानों की कठिनाई है । यह दूसरा कारण है कि परम्परागत लाइसेन्सदारों को, जिन के पास पहले से ही समुचित स्थान होते हैं, फुटकर बिक्री सम्बन्धी लाइसेन्स देने के लिए सामान्यतः अनुग्रहीत किया जाता है ।

Population Studies

1858. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a recent study of the American Bureau of Population Studies, declaring India as the second most populous country in the world; and

(b) if so, their precise finding and the Government's attitude thereto?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) A press report, to this